<u>समाचार</u>

शनिवार को रहेगा पूर्ण लाकडाउन, तो रविवार को खुलेंगी दुकानें

कोरबा 28 मई 2020 —नगर पालिक निगम कोरबा के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पूर्व में घोषित प्रतिबंधों में संशोधन करते हुए जिन व्यवसाय, प्रतिष्ठानों, दुकानों को पूर्व में लाकडाउन में निर्धारित अवधि प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी, वह समस्त दुकान, प्रतिष्ठान शनिवार को साप्ताहिक अवकाश के अधीन बंद रहेंगे एवं रविवार को खुले रहेगें। उन्होने बताया कि शनिवार को सब्जी एवं फल की दुकानें भी बंद रहेंगी, केवल दवाई दुकान व पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे तथा घर—घर जाकर दुग्ध प्रदाय करने वाले विक्रेताओं को अनुमति रहेगी, शेष सभी व्यवसाय प्रत्येक शनिवार को बंद रहेंगे।